न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/159/2019	15–10–2019	16–02–2021

01–देवकरण पुत्र कुरडाराम जाति अहीर निवासी सहनपुरी तहसील व जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01–राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का घाटला तहसील व जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अलवर दिनांक 23–03–2018 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 40/17

उपस्थितः–

01. श्री गोविन्द कुमार यादव –वकील अपीलान्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 23–03–18 जिसके तहत अपीलान्ट को ग्राम सहनपुरी के आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै0मु0रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) पर फसल बाजरा व चरी बोकर अक्रिमण से बेदखल करने एवं 84/– रूपये की पैलेन्टी से दण्डित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 58 ऐयर व खसरा नम्बर 138 रकबा 62 ऐयर पर काबिज है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी की आराजी से अधिक आराजी पर काबिज नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 0.06 हैक्टर अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी के तरफ उत्तर को है तथा राजस्व रेकार्ड में नक्शें में यह रास्ता दर्ज है। जबकि मौके पर रास्ता रेस्पा0 की आराजी के तरफ दक्षिण को चालू है तथा रेकार्ड में तरफ दक्षिण को रास्ता दर्शित नहीं है। अपीलान्ट ने इसकी दुरूस्ती का दावा भी उप खण्ड अधिकरी अलवर के यहां प्रस्तुत कर रखा है। तहत अदालत द्वारा अपीलीय आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत द्वारा विवादित आराजी का मौका नही देखा और ना ही मौका रिपोर्ट ली, पटवारी हल्का के बयान भी नही लिये गयें। अपीलान्ट अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज है। ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी के तरफ दक्षिण में रास्ता कायम कर उस पर पक्की सडक बना दी जो आज भी मौके पर जारी है। तहत अदालत ने इस की जॉच नहीं की और बिना वास्तविकता की जॉच किए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्षय प्रतिपादित

जिला कलक्टर, अलवर

न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्वान्त के प्रावधानों के विपरीत है। अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी गै0मु0रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) पर फसल बाजरा व चरी बोकर अक्रिमण किया है। गै0मु0रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) पर फसल बाजरा व चरी बोकर अक्रिमण है। अपीलान्ट ने मौके पर अवैद्य रूप से किस्म गै0मु0रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) पर फसल बाजरा व चरी बोकर अक्रिमण का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 58 ऐयर व खसरा नम्बर 138 रकबा 62 ऐयर पर काबिज है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी की आराजी से अधिक आराजी पर काबिज नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 0.06 हैक्टर अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी के तरफ उत्तर को है तथा राजस्व रेकार्ड में नक्शें में यह रास्ता दर्ज है। जबकि मौके पर रास्ता रेस्पा0 की आराजी के तरफ दक्षिण को चालू है तथा रेकार्ड में तरफ दक्षिण को रास्ता दर्शित नहीं है। अपीलान्ट ने इसकी दुरूस्ती का दावा भी उप खण्ड अधिकरी अलवर के यहां प्रस्तुत कर रखा है। निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्षय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्वान्त के प्रावधानों के विपरीत किया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया, तहत अदालत की पत्रावली की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट की प्रकरण में विधित् सुनवाई की गई है, अपीलान्ट की सुनवाई कर अपीलीय आदेश विधिक प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है। अपीलान्ट को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा बेदखली व पैनल्टी का जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर तहसीलदार तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 23-03-2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 16-02-2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर